न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक दण्डा0 द्वितीय, बगहा, पश्चिम चम्पारण।

परिवाद वाद संख्या–332 / 2007

सी.आइ.एस संख्या–8536 / 2017

मुस्मात गायत्री देवी उर्फ बन्हुई देवी पति स्व0 जयगोपाल
साकिन–भड़छी, थाना–लौकरिया, जिला पश्चिम चम्पारण.....परिवादिनी

बनाम

1. जंगबहादुर बीन पिता स्व0 सूरज बीन
2. गौतम बीन पिता स्व0 सूरज बीन
3. कान्ती देवी पति जंगबहादुर बीन

सभी साकिन–भड़छी, थाना–लौकरिया, जिला पश्चिम चम्पारण.....अभियुक्तगण
परिवादिनी की ओर से विद्वान अधिवक्ता.....श्री महाराणा प्रताप सिंह
अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता .....कृष्णमोहनचन्द्र सिंह

आदेश

01.06.2026 उभय पक्ष अनुपस्थित है। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में दिनांक 23.05.2009 के आदेश से अन्तर्गत धारा–498ए भारतीय दण्ड विधान के तहत प्रथम दृष्टया मामला पाते हुये परिवाद पत्र में नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध आदेशिका निर्गत किया गया। अभियुक्तगण की उपस्थिति हेतु दिनांक 02.11.2022 सुनिश्चित होने के बाद अभिलेख की कार्रवाई आरोप पूर्व साक्ष्य हेतु निर्धारित किया गया, तत्पश्चात अभियुक्तगण को आरोप पूर्व साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु काफी समय दिया गया। अंततः दिनांक 10.07.2025 को आरोप पूर्व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त कर आरोप पूर्व साक्ष्य बंद किया गया और अभिलेख की कार्रवाई आरोप गठन हेतु निर्धारित की गई। अभिलेख अवलोकन से यह भी विदित होता है कि दिनांक 02.11.2022 को उभय पक्षों के द्वारा संयुक्त रूप निष्पादित सुलहनामा दाखिल किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादिनी के द्वारा आरोप पूर्व साक्ष्य के अनुक्रम में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उभय पक्षों के बीच सुलह हो गया है जो सुलहनामा अभिलेख के साथ संधारित है। ऐसी स्थिति में न्यायालय पाती है कि प्रस्तुत वाद की कार्रवाई में परिवादिनी को कोई अभिरूची नहीं रह गई है। चूंकि परिवादिनी की ओर से आरोप पूर्व साक्ष्य के अनुक्रम में किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अभिलेख की कार्रवाई सिर्फ इस हेतु लंबित रखना संभव नहीं है। अभियुक्तगण प्रस्तुत वाद के परिणाम से अवगत हो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः अभियुक्तगण जंगबहादुर बीन, गौतम बीन एवं कांति देवी को उसके उपर लगे आरोप अन्तर्गत धारा–498ए भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर है। अतः अभियुक्तगण को जमानत के दायित्वों से तथा उसके प्रतिभूओं को बंधपत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

आदेशित
Sd/-
(अविनाश कुमार)
अ.मु.न्या.दण्डा.द्वितीय,

आदेश की तिथि	01.06.2026
आदेश सुरक्षित रखने की तिथि	कुछ नहीं
आदेश अपलोड करने की तिथि	03.06.2026
अपलोड करने वाला	आशुलिपिक